न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 8013–एक/2016 विरूद्ध आदेश, दिनाक 19–5–2016 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 5(1)/2016–17/2741.

मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि.

सेहतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

अपीलार्थी

विरूद्ध

: मध्य प्रदेश शासन द्वारा आबकारी आयुक्त,
म. प्र. ग्वालियर –प्रत्यर्थी

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9–2–2017 को पारित)

यह अपील आबकारी आयुक्त म0 प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2016–17/2741 में पारित आदेश दिनांक 19–5–2016 के विरूद्ध म0 प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे लिखे होने के कारण उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

(1) अपीलार्थी / व्यवसायी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. सेहतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आबकारी आयुक्त म. प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 5(1)/2016–17/2741 दिनांक 19.05.2016 से दुःखित होकर उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.05.2016 को विचाराधीन अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 (2) (सी) के अधीन प्रस्तुत की गयी ।

(2) संक्षिप्त में तथ्य यह है कि अपीलार्थी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. सी.एस.–1 अनुज्ञप्ति धारक होकर आबकारी आयुक्त एवं म. प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एवं अनुमोदित लायसेन्स अनुसार देशी मदिरा के विनिर्माण, बोतल भराई, और थोक प्रदाय के लिए मान्य लायसेन्सी हैं । मैसर्स ग्रेट गेलियन लिमिटेड सेजवाया जिला धार भी सी.एस.–1 अनुज्ञप्तिधारक व्यवसायी हैं । अवधि 2015–16 के लिए मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. सेहतगंज जिला रायसेन को बोतल बन्द देशी मदिरा के प्रदाय हेतु नरसिंहपुर प्रदाय क्षेत्र आवंटित किया गया था ।

अवधि 2014–15 के लिए नरसिंहपुर प्रदाय क्षेत्र मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड सेजवाया जिला धार को आवंटित था । अतः दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में नरसिंहपुर क्षेत्र की शेष बची देशी मदिरा अवधि 2015–16 के लायसेन्सी अपीलार्थी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. द्वारा प्राप्त की गयी । इस देशी मदिरा की

कीमत उभय पक्षों को मान्य एवं शासन द्वारा निर्धारित आंकलन अनुसार रूपये 46,05,050/— था । यह राशि मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड सेजवाया जिला धार को मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. द्वारा भुगतान की जाना थी ।

(3) मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 13 (1) में किए गए प्रावधान एवं अवधि 2015—16 के लिए जारी आबकारी नीति से सम्बन्धित आबकारी आयुक्त के आदेश क्र. 5 (1) 14—15/1153 दिनांक 30.03.2015 की कण्डिका 18 अनुसार अंतर्गामी प्रदाय संविदाकार द्वारा बहिर्गामी प्रदाय संविदाकार से प्राप्त बोतल बन्द देशी मदिरा की कीमत का भुगतान बहिर्गामी प्रदाय संविदाकार मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड सेजवाया जिला धार को करने के बारे में उभय पक्षों में कोई विवाद या मतभेद नहीं था ।

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बहिर्गामी संविदाकार मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड सेजवाया जिला धार के ही स्वामी/ प्रमोटर के ऊपर वर्ष 1996—97, 1997—98 की अवधि के लिए उन्हीं की पूर्व नामधारी इकाई मैसर्स केडिया कैसल डिलोन को प्रदाय की गयी प्लान्ट मशीनरी एवं अन्य सामग्री के भुगतान की राशि रूपये 21,15,744.94 लगभग 20 साल से लम्बित है । इस राशि का भुगतान करने के लिए आबकारी आयुक्त म. प्र. ग्वालियर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.07.2000 की प्रति भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के समक्ष इस न्यायालय के समक्ष पेश की । इस आदेश में दिनांक 24.07.2000 से 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी

को उनके विवरण पत्र में दर्शायी गयी राशि भुगतान करने के लिए मैसर्स केडिया कैसिल डिलोन को निर्देश दिए गए थे । यह आदेश आज भी यथावत कायम है इसको कभी भी विखंडित या संशोधित नहीं किया गया है । अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि उन्हें वर्ष 1996 से लगायत अभी तक 21% साधारण ब्याज की पात्रता बनती है और इस प्रकार से उनकी कुल भुगतान योग्य राशि रूपये 71,08,902/– होती है । अपीलार्थी ने इस न्यायालय से अनुरोध किया कि आबकारी आयुक्त द्वारा जारी उनके आदेश दिनांक 19.05.2016 में अपीलार्थी के अभ्यावेदन एवं अनुरोध की अनदेखी कर एकपक्षीय रूप से केडिया ग्रेट गैलियन लिमिटेड के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है । अतः अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय हुआ है । अपीलार्थी ने आबकारी आयुक्त को पूर्व में अभ्यावेदन पेश कर एवं समक्ष में इस तथ्य से अवगत कराया था कि रूपये 71.00 लाख की उनकी बकाया राशि केडिया पर है ।

(5) अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा ग्रेट गैलियन लिमिटेड के इस तर्क का भी खण्डन किया गया कि उनका मैसर्स एसोएिएटेट अल्कोहल लिमिटेड और मैसर्स केडिया केसल डिलोन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलार्थी द्वारा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष पेश किए गए और इस बात पर जोर दिया कि इन सभी इकाईयों के एक ही स्वामी हैं और उनके द्वारा अपने आर्थिक दायित्वों से मुकरने के लिए नाम बदलकर अनुज्ञप्तियॉ हासिल कर व्यवसाय किया जा रहा है । अतः वे पूर्व इकाई का नाम परिवर्तन कर देने से या पूर्व

इकाई का वर्तमान इकाई में मर्जर कर लेने से अपने पूर्व से लम्बित भुगतानों के दायित्वों से बच नहीं सकते ।

(6) विधि शास्त्र का यह सामान्य सिद्धान्त है कि यदि व्यावसायिक इकाईयों के अधिग्रहण संविलियन या अन्य तरीके से स्वामित्व परिवर्तन भी हो जावे तो भी परिसम्पत्तियों के साथ–साथ देनदारी के दायित्व भी यथावत् आगामी स्वामी पर अंतरित होते हैं । अतः अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के उभय पक्षों पर विचारोपरान्त यह पाया जाता है कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी द्वारा पेश दि. 24.07.2000 के आदेश पर उनके द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.05.2016 में विचार नहीं किया गया । अपीलार्थी का यह तर्क भी मान्य योग्य है कि आबकारी आयुक्त द्वारा उन्हें कोई सुनवाई का अवसर अथवा उनका पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जाकर एकतरफा आदेश पारित किया है ।

(7) अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को उनका पक्ष पेश करने के अवसर दिए गए, आबकारी आयुक्त की ओर से किसी के उपस्थित न होने से अभिलेखीय आधार पर उनके पक्ष पर सूक्ष्मता से विचार किया गया ।

(8) निष्कर्ष रूप में एवम् उपरोक्त विवेचना की पृष्ठभूमि में उभय पक्षों पर विचारोपरान्त प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह पाया गया कि पूर्व में अपीलार्थी के पक्ष की पूर्णतः अनदेखी हुई है । अतः उभय पक्षों को न्याय देने की दृष्टि से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :–

(1) अपीलार्थी मैसर्स सोम डिस्टलरीज [illegible] मैसर्स ग्रेट गैलियन लि., सेजवाया का [illegible] भुगतान के दायी हैं ।

(2) इसी प्रकार मैसर्स ग्रेड गैलियन लि. के नाम पर मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. की बकाया राशि भुगतान के ऊपर उनकी पूर्व इकाई मैसर्स केडिया केसिल डिलोन के लिए ग्रेड गेलियन लि. पूर्णतः उत्तरदायी है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 19—5—16 निरस्त किया जाता है और प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर